KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

Polity BPSC –2023 By : Karan Sir

केंद्र (संघ) की कार्यपालिका

[Executive of Centre (Union) [Art 52-78]

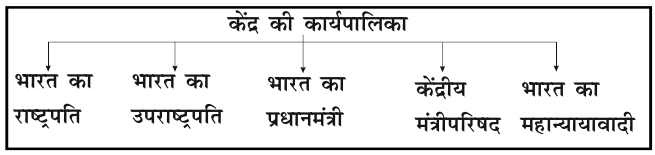

भारत का राष्ट्रपति (President of India)

- राष्ट्रपति, राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। वह भारत का प्रथम नागारिक Citizen) व राज्य का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद-52 के अनुसार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
- **अनु० 53 :- संघ की कार्यपालिका (Executive) शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं।**
- इसका अर्थ है, कि इनकी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, यदि नियुक्ति नहीं होगी तो कार्य कैसे तथा कौन सम्पन्न करेगा?
- कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं।

राष्टपति चुनाव लड़ने हेतु अर्हताएँ Act-58

(Eligibilities to Contest the Presidential Election)

अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये प्रत्याशी की अर्हताएँ बताई गई हैं। इनके अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है जो-

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(ग) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो।

(घ) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो।

इसी अनुच्छेद में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस प्रयाजन के लिये भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केन्द्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समक्षा जाएगा। (लाभ का पद अधिनियम 2006 के अंतर्गत 56 पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर किया गया है।)

- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम, 1997 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिये किसी प्रत्याशी का नाम कम-से-कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित तथा 50 सदस्यों द्वारा अनमोदित होना चाहिये।
- उपराष्ट्रपति के मामले में ये संख्याएँ 20-20 रखी गई हैं। साथ ही इन पदों पर चुनाव लड़ने प्रत्याशियों के लिये 15 हज़ार रुपए की ज़मानत राशि निश्चित की गई है।
- यदि कोई उम्मीदवार चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल रतहा है तो उसकी ज़मानत राशि ज़ब्त कर लिये जाने का प्रावधान है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of the President)

संविधान के अनुच्छेद 54 तथा 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिये गए हैं। अनुच्छेद 54 में इस बात का निर्देश है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसे होगा, जबकि अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी।

निर्वाचक मंडल (Electoral College)

अनुच्छेद 54 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा जिसमें-

(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा

(ख) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे।

इस निर्वाचक मंडल में संविधान के '70वें संशोधन अधि नियम, 1992 के द्वारा एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया गया था। इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में राज्यों की सूची में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुच्चेरी संघ राज्यक्षेत्र भी शामिल होंगे।

103वें संविधान संशोधन 2019 से अब जम्मू-कश्मीर भी एक ऐसा केन्द्रशासित प्रदेश बन गया है, जहाँ पर अपनी विधानसभा मौजूद है तो इसके निर्वाचित सदस्य भी अब आगे से राष्ट्रपति के नुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। (अभी तक राष्ट्रपति द्वारा इसकी अधिसूचना जारी नहीं की है)

अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect Election)

प्रक्रिया :- निर्वाचक मंडल के प्रावधान से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जनता स्वयं चुनाव द्वारा राष्ट्रपति को नहीं चुनती। संविधान सभा

में इस प्रश्न पर काफी बहस भी हुई थी। अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन को निम्नलिखित ठोस आधारों पर स्वीकार कर लिया गया।

- भारत की बड़ी जनसंख्या तथा वृहत् आकार को देखते हुए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करना न सिर्फ महँगा होता बल्कि समय की दृष्टि से भी अनुपयोगी होता।
- यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन कर लिया जाता तो भी समस्याएँ कम नहीं होतीं। शक्ति संघर्ष की संभावना बनी रहती, क्योंकि पूरे देश की जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करता।

निर्वाचन की प्रक्रिया (Electoral Procedure) Act-55

अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया विस्तार से बताई गई है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा क्रमशः समझा जा सकता है।

- राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति लागू की गई है जो मूलतः यही सुनिश्चित करने के लिये है कि निर्वाचित उम्मीदवार आनुपातिक दृष्टि से सर्वाधिक लोगों की पसंद हो। इस पद्धति में सबसे पहले एक कोटा तय कर लिया जाता है जो भारत के राष्ट्रपति के मामले में 50% से अधिक मतों का है। यह कोटा चुनाव में वास्तविक रूप से कितने मतों के बराबर होगा, यह निर्धारित करने के लिये एक सूत्र निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है-

$$\frac{\text{डाले गए कुल मतों संख्या}}{\text{कुल स्थानों की संख्या } +1} + 1 = \text{कोटा}$$

- इस पद्धति में प्रत्येक मतदाता को मत देते समय अपनी वरीयताओं का अंकन करना होता है अर्थात् उसे बताना होता है कि विभिन्न प्रत्याशियों के लिये उसका वरीयता क्रम क्या है।
- अनुच्छेद 55(2) में बताया है कि सभी राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित विधायकों के कुल मतों का योग, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल योग के समतुल्य बनाने के लिये क्या पद्धति अपनाई जाए? इस पद्धति के अनुसार सबसे पहले विभिन्न राज्यों के विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य निकालने का सूत्र इस प्रकार है-

विधानसभा सदस्य का मत मूल्य -

$$= \frac{\text{1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या}}{\text{राज्य में कुल MLA की संख्या}} \div 1000$$

इस तरह सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों के मतों का मूल्य निकाल कर उन्हें जोड़ दिया जाता है।

- गौरतलब है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली हैं या किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो इससे राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा।
- सभी राज्यें की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों के कुल योग तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल योग में समतुल्यता होनी चाहिये। इस उपबंध का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की उतनी ही भूमिका हो जितनी केंद्र की, ताकि हमारी राजव्यवस्था का संघात्मक ढाँचा मज़बूत बना रहे।
- वहीं, एक सांसद के मत का मूल्य इस प्रकार निकाला जाता है-

$$\text{1 सांसद के मत का मूल्य} = \frac{\text{सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधाय कों के मतों का कुल मूल्य}}{\text{संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}}$$

- सभी विधायकों तथा सांसदो के मतों का मूल्य तय हो जाने के बाद जीतने के लिये कोटा निर्धारित किया जाता है। कोटे के अनुसार निर्धारित मत प्राप्त करने की प्रक्रिया 'एकल संक्रमणीय' मतों पर आधारित होती हैं यदि किसी भी उम्मीदवार को पहली वरीयता में कोटे के लिये अपेक्षित मत न मिले हों तो अंतिम आने वाले उम्मीदवार को पराजित घोषित कर दिया जाता है तथा उसे प्राप्त हुए प्रथम वरीयता वाले मतों का विभाजन उन मतों पर अंकित दूसरी वरीयता के अनुसार शेष प्रत्याशियों में कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक कि कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटा न प्राप्त कर ले। निर्धारित कोटा प्राप्त करने के बाद उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है।
- अनुच्छेद 55 में एक स्पष्टीकरण देकर बताया गया है कि विधयक के मतों की गणना के लिये राज्य की जनसंख्या से आश्य 1971 की जनसंख्या से है। 1971 की जनगणना को इसलिये आधार बनाया गया क्योंकि स्वतंत्रता के बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण भारतीय राज्यें की जनसंख्या घटी, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या बढ़ती गई, जिससे दक्षिण भारत के राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों में तुलनात्मक कमी आने लगी। अतः 1971 के आँकड़ों को निश्चित कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से प्रावधान किया गया था कि 2000 के बाद पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। किंतु आगे चलकर पुनः 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 के माध्यम से यह स्थिति 2026 तक के लिये बढ़ा दी गई है।
- राष्ट्रपति के चुनाव के समय प्रत्येक मतदाता द्वारा चार उम्मीदवारों को वरीयता के आधार (प्रायॉरिटी) पर अपना मत देना होता है।
- सांसद या विधायक वोट देते वक्त अपने मतपत्र पर बताते हैं कि उनकी पहली पसंद वाला कैंडिडेट कौन है ? दूसरी पसंद वाला कौन? और तीसरी पसंद वाला कौन ?
- पहले चक्र की मतगणना में सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज **पहली वरीयता** के मत गिने जाते हैं।
- अगर इस तरह किसी की जीत हो गई तो ठीक, अगर ऐसा न हो सका, तो फिर दूसरे चक्र की गणना आरम्भ की जाएगी।

- पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है, जिसे पहली चक्र में सबसे कम वोट मिले।
- लेकिन उसको मिले वोटों में से यह देखा जाता है कि उसके वोट देने वाले मतदाताओं की दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं।
- फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
- यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गए तो वह उम्मीदवार विजयी माना जाएगा।
- अन्यथा **तीसरे चक्र** की गणना आरम्भ की जाएगी जिसमें दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला रेस से बाहर हो जाएगा और यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी।
- अगर अंत तक किसी प्रत्याशी को तय कोटा न मिले, तो भी इस प्रक्रिया में उम्मीदवार बारी-बारी से रेस से बाहर होते रहते हैं और आखिर में जो बचेगा, वही विजयी होगा।
- यह प्रक्रिया अधिकतम **चार चक्र** तक ही दोहराई जा सकती है।
- उदाहरण 1 - माना राष्ट्रपति के चुनाव में कुल चार उम्मीदवार A, B, C, D कुल 1400 वैद्य मत डाले गये। जिसमें जीत का कोटा 1400/ 2 + 1 = 701 वोट को होगा।

कुल मत	A	B	C	D	चक्र की गणना
1400	200	600	300	300	1
200	A सबसे कम वोट प्राप्कर्ता है इसलिए 2 चक्र की गणना से बाहर कर दिया जाएगा।	120	30	50	2
प्राप्त मत (स्थान)	चौथा	विजेता 720	तीसरा 330	दूसरा 350	2 चक्र की गणना की गयी।

- उदाहरण 2 कुल 1400 वैद्य मत डाले। जिसमें जीत का कोटा 1400/2 + 1 = 701 वोट का होगा।

कुल मत	A	B	C	D	चक्र की गणना
1400	250	580	280	290	1
200		100	128	22	2
312	इस चरण से पहले सबसे कम वोट प्राप्तकर्ता A है। इसलिए A को दूसरे चक्र की गणना से बाहर कर दिया जाएगा।	19	193	इस चरण से सबसे कम वोट प्राप्तकर्ता D है। इसलिए तीसरे गणना से D को बाहर घर दिया जाएगा।	3
1400		699	701		4
कुल मत	250	699	701	312	4 चक्र की गणना की गयी।
परिणाम	चौथा	दूसरे	विजेता	तीसरा	

राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों का निपटारा
(Settlement of the Disputes Related to the President's Election)

☞ अनुच्छेद 71 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जाँच तथा फैसले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये जाएंगे और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। साथ ही यह भी प्रावधान है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है तो भी उस व्यक्ति द्वारा पद धारण करने की तिथि से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि तक पद की शक्तियों के अंतर्गत किये गए कार्य अवैध नहीं होंगे।

राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन (Re-election of the President)

☞ अनुच्छेद 57 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है तो भी उसे पुन: इस पद के लिये चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। इस संबंध में चुनाव लड़ने के प्रयासों की कोई अधिकतम सीमा नहीं बताई गई है अर्थात् वह जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकता है।

राष्ट्रपति का कार्यकाल (Term of Office)

☞ अनुच्छेद-56 के अनुसार, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने का तिथि से पाँच वर्ष तक पद धारण करेगा। परन्तु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है।

☞ राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण (Violation of Constitution) करने पर अनुच्छेद-61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया (Procedure of impeachment) द्वारा हटाया भी जा सकता है।

☞ राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले।

☞ यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु त्यागपत्र, महाभियोग अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।

☞ यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो भारत का मुख्य न्यायधीश (और यदि यह भी पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।

☞ पद रिक्त होने की तिथि से छह माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना आवश्यक है। वर्तमान या भूतपूर्व, राष्ट्रपति, संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन (Re-Election) का पात्र होगा। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।

राष्ट्रपति की शपथ (Oath of the President)

☞ अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है कि मैं-

- श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन,
- संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण और
- भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा ।
- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है।
- अनु० 59 पद की शर्त अर्थात राष्ट्रपति के कार्यालय की दशाएँ।
- उम्मीदवार किसी भी राज्यविधायिका अथवा संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- उसे बिना किराये का राष्ट्रपति भवन (आधिकारिक निवास) आवंटित होगा।
- भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध भारत में कहीं कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है।
- भारत का कोई न्यायालय राष्ट्रपति को समन जारी नहीं कर सकता है, परन्तु निजी सिविल मामलों में 02 माह के पूर्व नोटिस के साथ उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जा सकता है।
- यह प्रावधान भारत के राष्ट्रपति को संविधान के **अनु0 14** के अपवाद के रूप में प्रदान किया है।
- **वेतन** - 5 लाख (टैक्स फ्री) व अन्य भत्तें आदि । (2018 के बाद से बढ़ाया गया है)

☞ **अनु0 60 :-** राष्ट्रपति के द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ।

- शपथ कौन दिलायेगा ? **राष्ट्रपति** को पद के गोपनीयता की शपथ SC का मुख्य न्यायाधीश (CJI) की **अनुपस्थिति** मे SC का ही कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलायेगा।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ (Powers of the President)

☞ संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ विविध और व्यापक हैं। समझने की सुविधा के लिये उन्हें कुछ वर्गो में बाँटा जा सकता है-

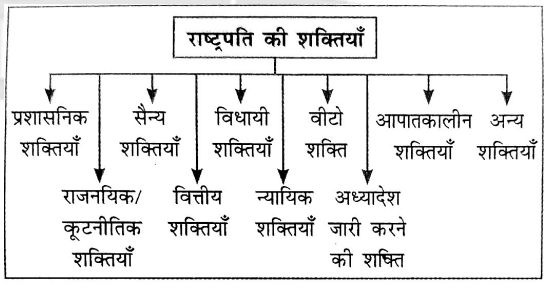

प्रशासनिक शक्तियाँ (Administrative Powers) :-

प्रशासनिक शक्तियों का तात्पर्य उन सभी कार्यों को करने की शक्ति से है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किये जाते हैं। अनुच्छेद 77 (i) में प्रावधान है कि "भारत सरकार की समस्त

कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी।ष अर्थात् भारत सरकार के शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाएंगे।

संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा [अनुच्छेद 53(1)] प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें हटाने की शक्ति दी गई।

☞ **राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है-**

- भारत के प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री (राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण)
- भारत के महान्यायवादी
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
- उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
- सभी राज्यों के राज्यपाल तथा उपराज्यपाल
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य
- वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों आयोग की नियुक्ति
- भाषायी अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिये विशेष अधिकारी आदि। कार्यकारी शक्तियों के अतगर्त आते है।

(ii) सैन्य शक्तियाँ (Military Powers)

राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है । उसके पास किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति है, परंतु यह शक्ति वास्तविक शक्ति न होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है [अनुच्छेद 74 (1)]

(iii) राजनयिक / कूटनीतिक शक्तियाँ (Diplomatic Powers)

राजनयिक शक्तियों से तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जो विदेशी राज्यों के साथ संबंधों के स्तर पर लागू होती हैं। राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिये राजदूतों तथा कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा अन्य देशों द्वारा भारत में नियुक्त किये गए राजदूतों तथा अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत भी करता है।

(iv) विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ-साथ विधयिका से जुड़ी कुछ शक्तियाँ भी रखता है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-

- वह संसद के दोनों सदनों को संसद सत्र हेतु आहूत करता है तथा सत्रावसान करता है (अनुच्छेद 85) ।
- दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है (अनुच्छेद 108)।

शक्ति है, परंतु यह शक्ति वास्तविक शक्ति न होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है [अनुच्छेद 74 (1)]।

(iii) राजनयिक/ कूटनीतिक शक्तियाँ (Diplomatic Powers)

राजनयिक शक्तियों से तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जो विदेशी राज्यों के साथ संबंधों के स्तर पर लागू होती हैं। राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिये राजदूतों तथा कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा अन्य देशों द्वारा भारत में नियुक्त किये राजदूतों तथा अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत भी करता है।

(iv) विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ-साथ विधायिका से जुड़ी कुछ शक्तियाँ भी रखता है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-

- वह संसद के दोनों सदनों को संसद सत्र हेतु आहूत करता है तथा सत्रावसान करता है (अनुच्छेद 85)।
- दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है (अनुच्छेद 108)।
- प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है (अनुच्छेद 87)।
- राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में नामांकित करता है, जिनके पास साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में कोई विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो (अनुच्छेद 80)।
- लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में वह अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा के लिये नामांकित कर सकता है (अनुच्छेद 331) (हालाँकि वर्तमान में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है ।)

केन्द्र (संघ) की कार्यपालिका

☞ राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह संसद के समक्ष विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत कराए, जैसे-

- बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112)।
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (अनुच्छेद 151)
- वित्त आयोग की अनुशंसाएँ (अनुच्छेद 281) ।
- संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (अनुच्छेद 323)
- पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन (अनुच्छेद 340) ।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन (अनुच्छेद 338)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन (अनुच्छेद 338क) ।

☞ **कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किये जा सकते** -

- नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को परिवर्तित करने वाले विधेयक (अनुच्छेद 3)
- धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा [अनुच्छेद 117 (1]।
- ऐसा विधेयक जिसके अधिनियमित किये जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा [अनुच्छेद 117(3]।
- ऐसी विधेयक जो उन करों के बारे में है जिनमें राज्य हितबद्ध है या जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनमें राज्यों को धन वितरित किया जाता है या जो कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन करता है [अनुच्छेद 274 (1)]।
- राज्यों के ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं (अनुच्छेद 304)।
- संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है।
- लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति व असभापति दोनों पदों के रिक्त होने पर संबंधित सदन के किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंपना ।
- संसद सदस्यों को निरर्हता का निर्णय चुनाव आयोग के परामर्श से लेना ।
- संसद सत्तावसान की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति

(v) वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ व कार्य निम्नलिखित हैं-

- राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही धन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
- वह वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट) को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है।
- राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी भी प्रकार के अनुदान की कोई भी मांग नहीं की जा सकती है।
- राष्ट्रपति को भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करने की शक्ति प्राप्त है।
- वह प्रत्येक पाँच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन, राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बँटवारे के लिये करता है।

(vi) न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

- न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रपति विधिक सलाह भी उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, परंतु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी नहीं होती है (अनुच्छेद-143)। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय अपनी सलाह देने के लिये बाध्य है।
- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दोषी सिद्ध किये गए किसी व्यक्ति के दंड को कम करने या माफ करने की शक्ति तीन मामलों में प्राप्त होगी-
  - यदि दंड या दंड का आदेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है।
  - यदि दंड या दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के 7 लिये दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत शामिल है।
  - ऐसे सभी मामले जिनमें मृत्युदंड का आदेश दिया गया है, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हों या राज्यों से।

☞ राष्ट्रपति किसी दंड के संबंध में कई तरह से क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जैसे-

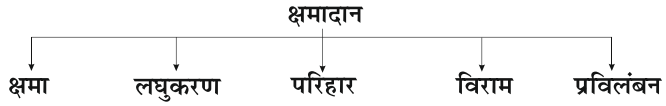

- **क्षमा (Pardon):** इसका अर्थ है कि अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। इससे दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था।
- **लघुकरण (Commute):** इसका अर्थ है किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, जैसे-
  - कठोर कारावास को साधारण कारावास में;
  - मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना।
- **परिहार (Remission):** इसका अर्थ है कि आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे
  - 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना।
- **विराम (Respite):** इसका अर्थ है कि दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण दंड की प्रकृति की कठोरता को कम करना। कठोरता में कमी दंड की प्रकृति बदलकर भी की जा सकती है और दंड की मात्रा कम करके भी, जैसे-
  - किसी गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे देना।
  - किसी बूढ़े अपराधी को कठोर कारावास की जगह साधारण कारावास दे देना ।
- **परिहार (Remission):** इसका अर्थ है कि आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे-
  - 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना।

- **विराम (Respite) :** इसका अर्थ है कि दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण दंड की प्रकृति की कठोरता को कम करना। कठोरता में कमी दंड की प्रकृति बदलकर भी की जा कसती है और दंड की मात्रा कम करके भी, जैसे-
  - किसी गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे देना।
  - किसी बूढ़े अपराधी को कठोर कारावास की जगह साधरण कारावास दे देना।

- **प्रविलंबन (Reprieve):** इसका अर्थ है कि मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, ऐसा आमतौर पर तब किया जाता है जब दोषसिद्ध अपराधी ने क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना की होती है और राष्ट्रपति उस प्रार्थना पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में होता है।

(vii) वीटो शक्ति (Veto Powers)

संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिये प्रस्तुत होता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं (अनुच्छेद 111)-

(i) वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है; अथवा

(ii) वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा

(iii) वह विधेयक (धन विधेयक नहीं) को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।

हालाँकि संसद अगर इस विधेयक को पुन: बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी ।

1. **आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto) :**

आत्यंतिक वाटो के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसका अर्थ है विधायिका द्वारा पारित किये गए विधेयक को पूरी तरह खारिज हो जाता है।

भारत के राष्ट्रपति को सीमित रूप से आत्यंतिक वीटो की शक्ति प्राप्त है-

2. **निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto):**

राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है, जब वह किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालाँकि यदि संसद उस विधेयक को पुन: किसी संशोधन के बिना अथवा संशेधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है।

राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस वीटो को प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोककर रख सकता है परंतु उसे पुनर्विचार के लिये नहीं भेज सकता है।

3. **जेबी वीटो (Pocket Veto):** इसका अर्थ है कि कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देना है।

राष्ट्रपति बिना कोई निर्णय किये विधेयक को अपने पास रोककर रख सकता है। इसके लिये राष्ट्रपति के पास जो वीटो सबसे प्रभावी रूप में है वह जेबी वीटो है। संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को यथाशीघ्र लौटा देगा। इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई है। इसका लाभ उठाकर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनंतकाल तक अपने पास रोककर रख सकता है।

4. **विशेषित वीटो (Qualified Veto):** विशेषित वीटो का अर्थ ऐसी वीटो शक्ति से है जिसे एक विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ये वीटो शक्ति नहीं है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की वीटो शक्ति है।

(viii) आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers)

आपात उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं-

- अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने (या इनमें से किसी की संभावना) के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल भी कहा जाता है।
- अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या उसे समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह उस राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है । प्रचलित भाषा में इसे श्राष्ट्रपति शासनश भी कहा जाता है हालाँकि संविधान में इसका प्रयोग नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग का 'वित्तीय स्थायित्व' या श्साखश संकट में है तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकेगा, ऐसी उद्घोषणा को शब्दावली में शवित्तीय आपातश कहा जाता है।

(ix) अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति (Power to Promulgate Ordinances)

अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि यदि संसद के दोनों सदन सत्र में न हों और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है तो वह अध्यादेश जारी कर सकेगा।

अध्यादेश का प्रभाव ठीक वही होता है जो कि संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है अर्थात् कहा जा सकता है कि कार्यपालिका के को यह शक्ति दी गई है कि यदि विधायिका का सत्र (संसद का प्रमुख सत्र) न चल रहा हो तो परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए वह स्वयं विधायिका की भूमिका में आ जाए। निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है-

- जब संसद के दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों, अर्थात् अगर एक सदन भी सत्र में नहीं है तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है।
- अध्यादेश की वही शक्ति और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है।
- मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता।
- अध्यादेश का जीवनकाल सदन की बैठक से 6 सप्ताह तक रहता है (बाद वाले सदन की बैठक से)। इसी बीच-से
  - ❖ अगर संसद के दोनों सदन उसका अनुमोदन करने का संकल्प वह पारित कर दें तो वह अधिनियम बन जाता है।
  - ❖ 6 सप्ताह से पहले ही दोनों सदन उसे संकल्प द्वारा खारिज कर दें तो वह समाप्त हो जाता है।
- अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता ।
- राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है।

(x) अन्य शक्तियाँ (Other Powers)

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में राष्ट्रपति को कई अन्य शक्तियाँ भी दी गई हैं, जैसे-

- संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन ही चलाया जाता है। उसे इन क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है (अनुच्छेद 239)।
- कुछ संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव, पुदुच्चेरी) के विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 240 में वर्णित है।
  - ● अनुच्छेद 240 (1) (क) - अंडमान और निकोबार द्वीप
  - ● अनुच्छेद 240 (1) (ख) - लक्षद्वीप
  - ● अनुच्छेद 240 (1) (ग) - दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव
  - ● अनुच्छेद 240 (1) (घ) - (निरसित)

  नोट: गौरतलब है कि वर्तमान में दादरा - नागर हवेली और दमन-दीव का विलय हो चुका है।
  - ● अनुच्छेद 240 (1) (ङ) - पुदुच्चेरी
- अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने तथा उन्हें इन सूचियों में शामिल करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है (अनुच्छेद 341, 342)।
- राष्ट्रपति को अनुच्छेद 339 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि अनुसूचित क्षेत्रों, जिसे जनजातीय आबादी के कारण विशेष संरक्षण दिया जाता है, के रूप में कुछ और क्षेत्रों को शामिल करने या कुछ क्षेत्रों को सूची से बाहर करने का निर्णय कर सकता है तथा किसी राज्य विशेष के राज्यपाल से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन मांग सकता है। इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिये बनाया गया कोई भी नियम राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रभावी नहीं हो सकता।

राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment on the President)

संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। महाभियोग एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- सबसे पहले यदि संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर 'संविधन के अतिक्रमण' का आरोप लगाएगा। आरोप लगाने की कुछ शर्तें हैं-
  - ● यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिये ।
  - ● यह कम-से-कम 14 दिनों पूर्व की लिखित सूचना देने के बाद प्रस्तावित किया जाना चाहिये।
  - ● सदन की कुल संख्या के कम-से-कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का प्रयोजन प्रकट किया हो।
- जब संसद का एक सदन ऐसा आरोप लगा देगा तो दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा। इस अन्वेषण के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करे।
- यदि जाँच के बाद वह सदन सहमत हो जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है और वह सदन इस संकल्प को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो ऐसा संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा।

राष्ट्रपति पद की रिक्तता तथा उसकी पूर्ति

(Presidential Post Vacancies and its Fulfilment)

जब मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब अनुच्छेद 65 कि अनुसार, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में नए निर्वाचित राष्ट्रपति के आने तक के लिये कार्य करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात् यथा शीघ्र और छह माह बीतने से पहले किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपतियों की सूची

क्र.	राष्ट्रपति	कार्यकाल	विशेष
1.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	26 जनवरी, 1950- 13 मई, 1962	एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि दो बार राष्ट्रपति बने। वे पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर भी आसीन थे।
2.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई, 1962-13 मई, 1967	राधाकृष्णन मुख्यत: दर्शनास्त्री और लेखक थे। आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे।
3.	जाकिर हुसैन	13 मई, 1967-3 मई, 1969	ज़ाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और 'पद्मविभूषण' व 'भारतरत्न' के भी प्राप्तकर्त्ता थे। (1969 में पद पर रहते हुए मृत्यु।)
	वराहगिरि वेंट गिरि (कार्यवाहक)	3 मई, 1969-20 जुलाई, 1969	वी.वी. गिरि पदस्थ राष्ट्रपति ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वह दूसरी/द्वितीय वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे।
	मुहम्मद हिदायतुल्लाह (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969-24 अगस्त, 1969	हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे।
4.	वराहगिरि वेंकट गिरि	24 अगस्त, 1969-24 अगस्त, 1974	गिरि एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति व पूर्णकालिक राष्ट्रपति दोनों बने। वह दूसरी/द्वितीय वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे।
5.	फखरुद्दीन अली अहमद	24 अगस्त, 1974-11 फरवरी, 1977	फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे। उनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके।
	बासप्पा दनप्पा जत्ती (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977-25 जुलाई, 1977	बी.डी. जत्ती, फखरुद्दीन अलीअहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इससे पहले व मैसूर के मुख्यमंत्री थे।
6.	नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई, 1977- 25 जुलाई, 1982	नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। वे 26 मार्च, 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 13 जुलाई, 1977 को यह पद छोड़ दिया और भारत के छठे राष्ट्रपति बने। वे सर्वसम्मति से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे।
7	ज्ञानी जैल सिंह	25 जुलाई, 1982-25जुलाई, 1987	जैल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृह मंत्री बने।
8	रामास्वामी वेंकटमरण	25 जुलाई, 1987- 25 जुलाई, 1992	1942 में वेंटकरमण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए। जेल से छूटने के बाद वे कॉंग्रेस पार्टी के सांसद रहे। इसके अलावा वे भारत के वित्त एवं औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे।
9	शंकरदयाल शर्मा	25 जुलाई, 1992-25 जुलाई, 1997	ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे।
10	के.आर. नारायण	25 जुलाई, 1997- 25 जुलाई, 2002	नारायणन चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके थे। उन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे।
11	ए.पी.जे.अब्दुल कलाम	25 जुलाई, 2005-25 जुलाई, 2007	कलाम मुख्यत: वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया, इस कारण उन्हें 'भारतरत्न' भी मिला। उन्हें भारत का 'मिसाइलमैन' भी कहा जाता है।
12	प्रतिभा देवी सिंह पाटिल	25 जुलाई, 2007- 25 जुलाई, 2012	प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनीं। वह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थीं।
13	प्रणब मुखर्जी	25 जुलाई, 2012- 25 जुलाई, 2017	प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे।
14	रामनाथ कोविंद	25 जुलाई, 2017 - 25 जुलाई 2022	राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुकेहैं।
15	द्रौपदी मुर्मू	25 जुलाई, 2022- पदस्थ	ओडिशा सरकार में मंत्री और झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकीं है।

भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन-2 रहे?

1. मुख्य न्यायाधीश एम० हिदायतुल्ला (2 बार पहली बार 1967 ई० में डॉ० जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद तथा दूसरी बार 1982 ई० में ज्ञानी जैल सिंह अमेरिका इलाज कराने गए थे)
2. बी० डी० जति (फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद 1974 में)

भारत के 6 उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने-

1. **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1952-62)**- 1952 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन और शेख कादिर हुसैन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन भरा। उन्हें 25 अप्रैल, 1952 को निर्विरोध उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया। 1962 में राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने ।
2. **जाकिर हुसैन (1962-67)**- राधाकृष्णन के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जाकिर हुसैन को 1967 में हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। 1969 में राष्ट्रपति रहते हुए इनका निधन हो गया।
3. **वीवी गिरि (1967-69)**- 1967 में वीवी गिरि भारत के उपराष्ट्रपति बने। 1969 में जाकिर हुसैन की मौत होने के बाद गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने । राष्ट्रपति चुनाव में गिरि को नीलम संजीव रेड्डी ने कड़ी टक्कर दी लेकिन दूसरे चक्र की मतगणना के बाद वे जीतने में कामयाब रहे।
4. **रामास्वामी वेंकटरमण (1984-87)** - 1984 को आर. वेंकटरमण भारत के उपराष्ट्रपति बने। 1987 में ज्ञानी जैल सिंह के बाद वेंकटरमण भारत राष्ट्रपति बने ।

5. **शंकर दयाल शर्मा (1987-92)**- 1987 में वेंकटरमण के राष्ट्रपति बनने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। वे उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुने गए। 1992 में शर्मा ने राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जीजी स्वेल और राम जेठमलानी को हराया।
6. **के.आर नारायणन (1992-97)**- 1997 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में नारायणन विजयी हुए। नोट:- 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हिदायतुल्ला लेकिन फुलटाइम प्रेसिडेंट नहीं बन पाए- पूर्व चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला फरवरी 1968 दिसंबर 1970 तक उपराष्ट्रपति रहे। जस्टिस हिदायतुल्ला पहली बार 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। इसकी वजह राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन तो था ही, साथ ही प्रेसिडेंट पोस्ट का चुनाव लड़ने के लिए वीवी गिरि ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार जस्टिस हिदायतुल्ला 6 अक्टूबर 1982 से 31 दिसंबर 1982 तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। इस दौरान ज्ञानी जैल सिंह अमेरिका इलाज कराने गए थे।

राष्ट्रपति के बारे में कुछ रोचक जानकारी निम्न है।

- भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थीं?
  - **प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (2007-12)**
- भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे?
  - **नीलम संजीव रेड्डी**
- भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई?
  - **जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद**
- राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धित विवाद कहाँ पर सुना जाता है ?
  - **सर्वोच्च न्यायलय (अनु0-71)**
- 14वें राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिद्वन्दी उम्मीदवार कौन थीं?
  - **मीरा कुमार**
- राष्ट्रपति अपनी बीटो पॉवर का इस्तेमाल कितनी बार कर सकता है? - **कोई लिमिट नहीं है।**
- भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध भारत में कहीं भी कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है, और ना ही भारत का कोई न्यायालय राष्ट्रपति को समन जारी कर सकता है, परन्तु निजी सिविल मामलों में 02 माह के पूर्व नोटिस के साथ उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जा सकता है। यह प्रावधान भारत के राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के अनुपालन से प्रदान किया गया है? - **अनु0 14**
- यदि मामला अविलम्बनीय लोकहित का होगा तो राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सलाह पर एक ही अध्यादेश को क्या बार- 2 जारी कर सकता है? - **हाँ अगर मामला अविलम्बनीय लोकहित का है, तो कर सकता है।**
- अगर कोई अध्यादेश जो राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया हो तो क्या दोनों सदनों से पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास पुन: जाएगा? - **नहीं, यह पहले से ही राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है।**

☞ अनुच्छेद **53 (2)** के तहत, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना) का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है ?
   (a) भारत का राष्ट्रपति (b) भारत का प्रधानमंत्री
   (c) मंत्रिमंडल (d) राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित
2. नीचे दो वक्तव्य दिए है:
   कथन (A): संघीय कार्यपलिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है।
   कारण (R): राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है।
   उपर्युक्त के संदर्भ में, निम्न में से कौन एक सही है?
   (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) सही स्पष्टीकरण है (A) का।
   (b) (A) और (R) दोनों सही हैं किंतु (R) सही स्पष्टीकरण नहीं है (A) का
   (c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
   (d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।
3. संविधान के निम्नलिखत अनुच्छेदों से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं?
   (a) अनुच्छेद 51 (b) अनुच्छेद 54
   (c) अनुच्छेद 53 (d) अनुच्छेद 54
4. निम्नलिखत में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण में सम्मिलित नहीं है?
   (a) लोक सभा के निर्वाचित सदस्य
   (b) राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य
   (c) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
   (d) राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
5. भारत में राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं-
   (1) लोक सभा के चुने हुए सदस्य
   (2) राज्य सभा के चुने हुए सदस्य
   (3) राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य
   (4) राज्य विद्यान परिषद के चुने हुए सदस्य
   (a) 1 एवं 2 (b) 1 एवं 3
   (c) 1, 2 एवं 3 (d) 1, 3 एवं 4
6. राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यंमत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, यदि-
   (a) वह स्वयं प्रत्याशी होता है
   (b) उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो
   (c) वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो
   (d) वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो
7. एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु-
   (a) चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र देना होगा।
   (b) अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदन अपनी सदस्यता छोड़नी होगी।
   (c) निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत सदस्यता छोड़नी होगी।
   (d) एक सांसद चुनाव लड़ सकता है, परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं
8. भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है?
   (a) अनुच्छेद 53 (b) अनुच्छेद 61
   (c) अनुच्छेद 74 (d) अनुच्छेद 13